भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1551
जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।
.....

पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के भूजल में गंभीर प्रदूषण

1551. श्री कल्याण बनर्जी:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के भूजल में गंभीर प्रदूषण की सूचना मिली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सूचना मिली है कि देश के 56 प्रतिशत जिलों में भूजल गंभीर रूप से प्रभावित है और उसमें गंभीर प्रदूषण है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2015 से अब तक दूषित जिलों में वर्ष-वार कितनी वृद्धि दर्ज की गई है; और

(घ) इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) पूरे देश में नियमित आधार पर कई संदूषकों नाइट्रेट, आर्सेनिक, फ्लोराइड, भारी धातुओं आदि के लिए भूजल गुणवत्ता की मॉनिटरिंग करता है और विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के दौरान क्षेत्रीय स्तर पर भूजल गुणवत्ता डेटा भी तैयार करता है। इन अध्ययनों के निष्कर्षों से यह ज्ञात होता है कि देश में अधिकांशत भूजल पीने योग्य है। तथापि, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अलग-अलग पाकेटों में भूजल में मानव उपभोग की अनुमत्य सीमा (बीआईएस के अनुसार) से अधिक उक्त संदूषकों की मौजूदगी की सूचना प्राप्त हुई है।

सीजीडब्ल्यूबी द्वारा तैयार की गई वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट, 2024 के अनुसार, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से एकत्र और विश्लेषण किए गए स्थानीय भूजल नमूनों में पेय जल के लिए निर्धारित सीमा से अधिक ईसी, नाइट्रेट और फ्लोराइड की सूचना प्राप्त हुई है। वर्ष 2023 के दौरान उक्त मापदंडों की निर्धारित सीमा से अधिक राज्यवार सूचना अनुलग्नक-I में संलग्न हैं।

(ख): देश के कुल 788 जिलों में से 443 जिलों (लगभग 56%) के अलग-अलग पॉकेटों से भूजल नमूनों में नाइट्रेट की सूचना मिली है।

इसके अतिरिक्त, 218 जिलों में अधिक इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिविटी (ईसी) की छिट-पुट घटनाओं की सूचना मिली है, जबकि 263 जिलों के अलग-अलग भागों में निर्धारित सीमा से अधिक फ्लोराइड की मात्रा का पता चला है।

(ग): भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट, 2024 के आधार पर, वर्ष 2017 से 2023 तक विभिन्न भूजल संदूषकों से आंशिक रूप से प्रभावित जिलों की संख्या का विवरण अनुलग्नक-**II** में दिया गया है।

(घ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विभिन्न रिपोर्टों, नीति दस्तावेजों और दिशानिर्देशों के माध्यम से दूषित भूजल की खपत के कारण होने वाले प्रतिकूल प्रभावों पर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया गया है। भूजल संदूषण को कम करने के लिए और देश की आबादी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की दृष्टि से केंद्र सरकार ने इस तथ्य के बावजूद, कई उल्लेखनीय पहल की हैं, कि जल राज्य का विषय है और भूजल गुणवत्ता के मुद्दों के समाधान का दायित्व मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों पर है। इस दिशा में जल शक्ति मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय नीचे दिए गए हैं:

- सीजीडब्ल्यूबी द्वारा भूजल गुणवत्ता संबंधी आंकड़े रिपोर्टों के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध कराए जाते हैं और आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने के लिए इन्हें संबंधित राज्य सरकारों के साथ भी साझा किया जाता है। भूजल गुणवत्ता पर जानकारी और सूचना के प्रसार में और अधिक तेजी लाने के उद्देश्य से सीजीडब्ल्यूबी द्वारा अर्ध-वार्षिक भूजल गुणवत्ता बुलेटिन और पाक्षिक अलर्ट जारी करने की प्रथा आरंभ की गई है ताकि सूचित क्षेत्रों में तत्काल कार्रवाई शुरू की जा सके।

- सीजीडब्ल्यूबी के राष्ट्रीय जलभृत मैपिंग कार्यक्रम (नेक्यूम) के अंतर्गत भूजल में विषैले पदार्थों द्वारा संदूषण सहित भूजल गुणवत्ता के पहलू पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सीजीडब्ल्यूबी द्वारा संदूषण मुक्त जलभृतों के दोहन के लिए नवीन सीमेंट सीलिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में आर्सेनिक-मुक्त कुओं का सफलतापूर्वक निर्माण किया जा रहा है और फ्लोराइड सुरक्षित कुओं के निर्माण में राज्य विभागों को तकनीकी सहायता भी प्रदान की जा रही है।

- भारत सरकार, राज्यों के साथ साझेदारी में, अगस्त, 2019 से जल जीवन मिशन (जेजेएम) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को निर्धारित गुणवत्ता और नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल के पानी की आपूर्ति की जा सके। जेजेएम के तहत, घरों में नल से पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए जल आपूर्ति स्कीमों की योजना बनाते समय गुणवत्ता प्रभावित स्थानों को प्राथमिकता दी जाती है। किसी विशेष

वित्तीय वर्ष में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का आबंटन करते समय, रासायनिक संदूषकों द्वारा प्रभावित बसावटों में रहने वाली आबादी को 10% अतिरिक्त वेटेज दिया जाता है।

- सीपीसीबी द्वारा बिंदु स्रोतों को नियंत्रित करने के लिए जल प्रदूषण पर एक व्यापक कार्यक्रम बनाया गया है, जिसके मुख्य घटकों द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित अपशिष्टों के निर्वहन के लिए उद्योग विशिष्ट मानकों और सामान्य मानकों का विकास किया जा रहा है। इसका कार्यान्वयन एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा सहमति तंत्र; लघु उद्योगों के क्लस्टर के लिए साझा बहिस्त्राव उपचार संयंत्रों (सीईटीपी) की स्थापना; बहिस्त्राव की गुणवत्ता आदि के संबंध में वास्तविक समय पर सूचना प्राप्त करने के लिए अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों द्वारा ऑनलाइन सतत बहिस्त्राव निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) की संस्थापना के माध्यम से किया जाएगा।

- सीजीडब्ल्यूबी द्वारा भूजल प्रदूषण को रोकने और संदूषित जल के सुरक्षित उपयोग सहित भूजल के विभिन्न पहलुओं पर आवधिक रूप से जागरूकता सृजन कार्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं।

- चूंकि भूजल पीने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रमुख स्रोत है और चूंकि भूजल की अधिक गहराई से इसकी गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, इसलिए जल शक्ति मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा भूजल पुनर्भरण और जल संरक्षण के लिए कई कार्यक्रम आरंभ किए जा रहे हैं, जिनसे भूजल स्तर में सुधार होने की संभावना है। ऐसे कुछ कार्यक्रम जल शक्ति अभियान, अमृत सरोवर मिशन, मनरेगा, पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी आदि हैं।

*****

अनुलग्नक-I

"पश्र्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के भूजल में गंभीर प्रदूषण" के संबंध में दिनांक 13.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1551 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष 2023 के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक ईसी, नाइट्रेट और फ्लोराइड की राज्य-वार स्थिति

राज्य	विश्लेषण किए गए नमूनों की संख्या	ईसी > 3000 म्यूएस/सेमी. वाले नमूनों का %	फ्लोराइड > 1.5 मि.ग्रा./ली. वाले नमूनों का %	नाइट्रेट > 45 मि.ग्रा./ली. वाले नमूनों का %
बिहार	808	0.9	4.58	2.35
उत्तर प्रदेश	1387	2.7	5.70	9.37
पश्चिम बंगाल	959	0.8	0.73	8.65

*****

अनुलग्नक-II

"पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के भूजल में गंभीर प्रदूषण" के संबंध में दिनांक 13.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1551 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

विभिन्न भूजल गुणवत्ता मानकों से आंशिक रूप से प्रभावित जिलों की संख्या का वर्षवार विवरण

*वर्ष	ईसी द्वारा आंशिक रूप से प्रभावित जिले	फ्लोराइड से आंशिक रूप से प्रभावित जिले	नाइट्रेट से आंशिक रूप से प्रभावित जिले
2017	198	207	359
2018	198	212	323
2019	172	226	352
2020	90	131	223
2021	119	142	257
2022	184	213	419
2023	218	263	443

*राष्ट्रव्यापी डेटा का पूर्ण संकलन वर्ष 2017 से उपलब्ध है

****